Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 3.4 September-October 2025 / VOL -02 ISSUE-II

03

संविधान : महिला सशक्तिकरण के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)

इच्छा उपाध्याय
छात्रा (एम. ए.), हिन्दी विभाग
जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट (उत्तर प्रदेश)

शोध-सार- *संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो राष्ट्र की शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार-कर्तव्य तथा सरकार की शक्तियों-सीमाओं को निर्धारित करता है कि, यह देश के सभी नियम-कानूनों और संस्थाओं का आधार है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान वह नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का संचालन होता है।*

सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह को प्रदान की गई शक्ति, अधिकार, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना ताकि वे अपने जीवन, समाज और संसाधनों पर सुचारू रूप से उपयोग कर सके। दूसरे शब्दों में कहें तो सशक्तिकरण का मतलब है खुद के पैरों पर खड़ा होना और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की क्षमता प्राप्त करना।महिला सशक्तिकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वनिर्णय, निर्माणकर्त्री, रोजगार, सम्पत्ति, सामाजिक जीवन में अवसर प्रदान किये जाते हैं; ताकि वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने और समाज के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। संविधान और महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि, महिलाओं को संविधान के अंतर्गत ऐसी शक्ति, अधिकार और अवसर दिए गए हैं, जिससे वे अपने जीवन से संबंधित निर्णय को स्वयं ले सकें और समाज के विकास में समान रूप से भागीदार बन सकें। भारतीय संविधान महिलाओं को सशक्त कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को प्रदान करके करता है।

बीज शब्द- सशक्तिकरण , धर्मनिरपेक्ष , उपनिवेशकाल , अनुच्छेद, भ्रूण हत्या ,लैंगिक भेदभाव, संविधान, निषेध, अधिनियम।

प्रस्तावना -भारत एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समानता पर आधारित राष्ट्र है। जहाँ प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर महिलाओं को समानता और न्याय सुनिश्चित किया गया है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से जटिल रही है। एक ओर जहाँ प्राचीन काल में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्राप्त था, वहीं मध्यकाल और उपनिवेशकाल में वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गईं। स्वतंत्रता के पश्चात जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसके निर्माताओं ने महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार प्रदान करना नहीं बल्कि, उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना भी है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने हेतु अनेक मौलिक अधिकारों और नीतिगत नियमों को सम्मिलित किया है। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है और अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। संविधान ने न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की है बल्कि, उन्हें सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा भी दी है। आज भारतीय नारी शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, प्रशासन, साहित्य और उद्योग के क्षेत्र में अपनी एक सशक्त पहचान बना रही है। यह परिवर्तन भारतीय संविधान की उस दूरदर्शिता का परिणाम है, जिसने महिला सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है।

इस प्रकार भारतीय संविधान और महिला सशक्तिकरण के बीच गहरा एवं अटूट संबंध है। संविधान स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की नींव रखता है और नारी सशक्तिकरण उसी नींव पर खड़ी एक सशक्त अवधारणा है।

इस शोध पत्र में संविधान और महिला सशक्तिकरण के बीच सम्बन्ध एवं दोनों एक-दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं यह दिखाने का प्रयास किया गया है।

संविधान का परिचय-

संविधान किसी देश का सब से बड़ा नियम-कानून होता है। कानून ही यह तय करता है कि, सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के अधिकार और उनके कर्तव्य क्या होंगे और देश में कानून और व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। संविधान देश चलाने वाली एक नियमावली संबंधी ग्रंथ है। "संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 'कॉन्स्टीट्यूरे' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'स्थापित करना' या 'स्थापना करना'। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धान्तों का समूह है, जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के सन्दर्भ में सम्बन्धों को निर्दिष्ट करता है।"[1]

संविधान सरकार के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का प्रारूप है। उसी के माध्यम से सरकार अपने कार्यों को करती है एवं नियमों को बनाए रखती है। संविधान को विशेषज्ञों द्वारा अपने-अपने मतानुसार परिभाषित किया गया। राजनीतिक शास्त्रियों और संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार संविधान की जो परिभाषाएँ दी गई हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं-

©Copyright 2024 ADRJ. All Rights Reserved

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 3.4 September-October 2025 / VOL -02 ISSUE-II

गिलक्रिस्ट के अनुसार - "संविधान नियमों या कानूनों का वह निकाय है, जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का विवरण और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाना है।"[2]
संविधान के द्वारा ही जनता को मिलने वाले अधिकारों एवं शक्तियों का सरकार निर्धारण करती है और उनका संचालन करती है।
व्हीलर के अनुसार - "संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है उन नियमों का संग्रह है , जो सरकार को स्थापित और विनियमित या नियंत्रित करते हैं।"[3]
संविधान एक ऐसा संग्रह है जिसके अन्तर्गत बहुत सारे नियम, कानून और व्यवस्था आदि को कैसे सुचारू रूप से बनाए रखें इन सबका लेखा-जोखा लिखा होता है।
सशक्तिकरण से तात्पर्य -सशक्तिकरण से अभिप्राय किसी व्यक्ति, समूह या समाज को इतना क्षमता और अधिकार देना है कि, वे अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सकें, अपने हक के लिए खड़े हो सकें एवं समाज में समान रूप से भागीदारी कर सकें।
रैपापोर्ट (1984) के अनुसार "सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है; वह तंत्र जिसके द्वारा लोग, संगठन और समुदाय अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं।"[4]
महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय- महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और समाज में समान अधिकार देने की प्रक्रिया। इसका उद्देश्य यह है कि, स्त्रियाँ अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें और शिक्षा, रोजगार, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अवसर पा सकें।
लता बाटीवाला के अनुसार -"महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा महिलाएँ दैहिक एवं भौतिक संसाधनों के ऊपर अधिक नियन्त्रण प्राप्त करती है तथा समाज की संरचना में महिला के प्रति होने वाले लिंग के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी जाती है तथा सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत निर्णयों में महिलाएँ पुरुषों के समान सक्षम होती है।"[5] महिला सशक्तिकरण पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाले लिंगाधारित भेद-भाव को समाप्त कर उन्हें पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार प्रदान करना है। जिससे कि महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर सकें और अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकें।
महिला सशक्तिकरण में बाधाएँ - नारी सशक्तिकरण के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएँ सुरसा वदन की तरह खड़ी हो जाती हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं -
"1.सामाजिक मापदण्ड , 2. कार्यक्षेत्र में शारिरिक शोषण , 3.लैंगिक भेदभाव, 4.भुगतान में असमानता, 5.बाल विवाह , 6.अशिक्षा , 7. महिलाओं के विरुद्ध वाले अपराध, 8.कन्या भ्रूणहत्या आदि।"[6]
अन्य बहुत सी बाधाएँ भी हैं जो महिलाओं के विकास एवं उन्हें आगे बढ़ने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोकती रहती हैं।
महिला सशक्तिकरण का महत्व -
महिलाओं को आगे बढ़ने में सशक्तिकरण का विशेष योगदान है। यही कारण है कि, महिलाओं के आगे बढ़ने से समाज को विभिन्न रूपों में लाभ भी प्राप्त होते हैं। जिनमें से कुछ लाभ इस प्रकार हैं -
"1. समाज का विकास, 2. गरीबी में कमी , 3.घरेलू हिंसा में कमी, 4. आत्मनिर्भर बनाना, 5. प्रतिभावाली, 6. समाज में समानता मिलना।"[7]
भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं -
भारत सरकार ने महिलाओं के उत्थान एवं विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ योजनाएँ आरंभ की हैं। जिससे महिलाओं को उनके अधिकारों प्राप्त हो सकें। इन योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं -
"1. महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) योजना, 2. महिला उद्यमिता निधि योजना (2020), 3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (2019), 4. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ (2015) , 5. सुकन्या समृद्धि योजना (2015) , 6. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010), 7. महिला शक्ति केन्द्र योजना (2017)।"[8]
इन योजनाओं के द्वारा देश में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है और महिलाएँ देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभा रही हैं।
महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी कानून -
भारतीय संविधान में महिलाओं के साथ हो रहे शोषण (शारीरिक , मानसिक , धार्मिक , राजनीतिक और आर्थिक आदि) को रोकने के लिए कुछ कानून भी बनाए गये हैं। जिनसे महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। ये कानून इस प्रकार हैं-
"1 - अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (1956), 2 - दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961), 3 - सती प्रथा रोकथाम अधिनियम (1987), 4 - घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005), 5 - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 3.4 September-October 2025 / VOL -02 ISSUE-II

अधिनियम (2013), 6 - आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम (2013), 7. महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधिनियम (1986) ।"[9]

इन अधिनियमों के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक एवं मानसिक शोषण में रोक लगाया गया है। साथ ही साथ उनका शोषण करने वाले व्यक्तियों के प्रति दण्डात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

संविधान में कुछ और भी अधिनियमों का प्रावधान किया गया है। जिससे कि महिलाओं के साथ सामाजिक एवं आर्थिक शोषण न किया जाए। वह अधिनियम कुछ इस प्रकार से हैं -

"1. परिवार न्यायालय अधिनियम (1954), 2 - हिन्दू विवाह अधिनियम (1955),3 - हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम (1956), 4 - गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (1971), 5 - कमीशन ऑफ सती एक्ट (1986), 6 - प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961), 7 - विशेष विवाह अधिनियम (1954) ।"[10]

जिनके द्वारा महिलाओं को परिवारिक , आर्थिक, वैवाहिक एवं प्रसूति सुविधा जैसे अधिकार प्राप्त हैं, ये अधिकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं।

संविधान और महिला सशक्तिकरण -

भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। जिनके माध्यम से वे भी समाज में अपना विशिष्ट स्थान बना सकें और पुरुषों से बराबरी प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान प्रदान कर सकें।

भारती संविधान द्वारा महिलाओं को नागरिक के रूप में मिलने वाले कुछ विशेष अधिकार कुछ इस प्रकार हैं -

1. अनु.-14-भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समानता से तात्पर्य स्त्री एवं पुरुष दोनों में बिना किसी लिंग भेद-भाव किये हुए उन्हें समान अधिकार प्रदान करना।
2. अनु.-15-राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, लिंग, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। भारतीय संविधान में स्त्री एवं पुरुषों के बीच बिना किसी भेदभाव के उन्हें समान अवसर देना तथा अनुच्छेद 15 के खण्ड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है।
3. अनु.-16- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी ।स्त्री-पुरुषों दोनों को नौकरी में समान पद एवं समान वेतन का अधिकार दिया गया है।
4. अनु.-19- प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतन्त्रता देता है।"[11]

   स्त्रियों को बोलने एवं स्वतन्त्र रूप से आवागमन की स्वतन्त्रता है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा भी रोक नहीं लगाया जा सकता है।
5. अनु. -23 और 24- महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण को नारी के मान-सम्मान के प्रति विपरीत व्यवहार मानते हुए उनको खरीदने, वैश्यावृत्ति कराना आदि को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए 1956 में 'वीमेन एंड गर्ल्स प्रोटेक्शन एक्ट' भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है।"[12] यह एक्ट इसलिए पारित किया गया है ताकि माहिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से शोषण न किया जाए। मुख्यतः शारीरिक शोषण को रोकने के लिए यह अधिकार समस्त महिलाओं को दिया गया।
6. अनु.- 39- स्त्रियों को पुरुषों के समान पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

   39क - स्त्रियों को पुरुषों के समान समान न्याय का अधिकार दिया गया है।

   39द- स्त्रियों को पुरुषों के समान सामान्य वेतन का अधिकार भी दिया गया है।

   ये अधिकार इस लिए दिए गए हैं ताकि महिलाएं भी पुरुषों के समान कार्य कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर देश के विकास में अपना सहयोग दे सकें।
7. अनु.-42- स्त्रियों को मानवोचित तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध करना एवं अवकाश की व्यवस्था करना। इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को अपनी प्रसूति अवस्था अर्थात् बच्चे के जन्म के समय मिलने वाला विशेष अवकाश भी दिया गया है।
8. अनु.- 46 - कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन एवं सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा।"[13] इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक एवं आर्थिक शोषण नहीं किया जाए इसका प्रावधान किया गया है।
9. अनु.-46- तलाक के समय, यदि पत्नी नसबंदी ऑपरेशन या किसी अन्य कारण से बाँझ हो जाती है तो बच्चे/बच्चों के पालन-पोषण की समस्या को इस प्रकार से निपटाया जाएगा कि, बच्चे/बच्चों के अधिकारों और हितों के साथ-साथ पत्नी की उचित माँगों पर भी उचित विचार किया जाएगा।

Akshardhara Research Journal
Single Blind Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
E ISSN -3048-8095 / Bimonthly / SJIF Impact- 3.4 September-October 2025 / VOL -02 ISSUE-II

10. अनु.-47 - महिलाओं को राज्य के प्रासंगिक नियमों के अनुसार बच्चे पैदा करने का अधिकार है। साथ ही उन्हें बच्चा पैदा न करने की भी स्वतंत्रता है।"[14] महिलाओं को यह भी अधिकार दिया गया है कि, वह अपनी मर्जी के अनुसार बच्चे को जन्म दे सकती है इसके लिए उसके परिवार एवं पति के द्वारा किसी भी प्रकार से उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है।
11. अनु.-51- संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51क तथा 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि, हमारा दायित्व है कि हम संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्त्व को समझते हुए इस प्रकार की प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान-सम्मान के खिलाफ हो।

    अर्थात् हमारा संविधान यह कहता है कि, उन नियमों या परम्पराओं को तोड़ देना चाहिए जिनके द्वारा महिलाओं के मान-सम्मान एवं अधिकारों का हनन होता हो।
12. अनु.-243 - 243 द के 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान पर महिला के लिए आरक्षित रहेंगे।

    इसके अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही समान अधिकार प्रदान किया गया है। पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी मत देने और चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ 1/3 सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
13. अनु.-325- निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मानित होने का अधिकार प्रदान किया गया है।"[15]

    इसके अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही समान अधिकार प्रदान किया गया है और उन्हें निर्वाचक प्रक्रिया में निर्वाचित होने का भी अधिकार प्रदान कर पुरुषों की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया गया है।

निष्कर्ष- भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और प्रगतिशील आधार प्रदान किया है। संविधान की प्रस्तावना में निहित समानता, उपासना, न्याय और स्वतंत्रता के आदर्शों ने महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने का मार्ग प्रदान किया है। अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 जैसे प्रावधान महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और संरक्षण प्रदान करते हैं जबकि, अनुच्छेद 51 ए नागरिकों को लैंगिक समानता देने का दायित्व सौंपता है।

संवैधानिक अधिकारों के बावजूद व्यावहारिक स्तर पर महिलाओं की स्थिति अभी भी चुनौतियों या समस्याओं से घिरी हुई हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, पितृसत्तात्मक मानसिकता, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता जैसी बाधाएँ महिला सशक्तिकरण की मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि, इन संवैधानिक मूल्यों को केवल संविधान के कागजों में नहीं, बल्कि, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया जाए।

महिला सशक्तिकरण तभी पूर्ण रूप से संभव होगा जब शिक्षा, रोजगार, राजनीति और न्याय तक महिलाओं की समान पहुँच सुनिश्चित की जाए। जब हर महिला अपने अधिकारों के प्रति सजग, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनेगी तब ही भारतीय संविधान की भावना समानता, न्याय और स्वतंत्रता वास्तविक रूप में साकार हो सकेगी।

सन्दर्भ-

1. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, 7 वां संस्करण सन्-2024, पृ.- 19.
2. गिलक्रिस्ट, आर. एन., प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सन्-1961 , पृ.-211.
3. व्हीयर, के. सी., मॉर्डन कॉन्स्टिट्यूशंस, सन्-1956, पृ.-1.
4. https://en.wikipedia.org
5. https://pssou.ac.in
6. https://www.ijrar.org
7. वही.
8. https://unacademy.com
9. https://www.ncw.gov.in
10. https://www.socialsciencejournal.in
11. एम. लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, 7 वां संस्करण, सन्- 2024 , पृ.-66, 67, 69 और 74.
12. वही, पृ.-80, 81.
13. वही, पृ.-93.
14. https://www.asianlii.org
15. https://www.socialsciencejournal.in